

प्रपत्र-1

सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु हितग्राही का आवेदन पत्र

प्रति,

आवेदन दिनांक:

कार्यपालन अभियंता

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभियान (क्रेडा),
क्षेत्रीय कार्यालय,

द्वारा, उपसंचालक कृषि

जिला -.....

हितग्राही का
नवीनतम
फोटोग्राफ

विषय:- सोलर पंप की स्थापना पर अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन।

महोदय,

छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में, मैं अपने खेत में, मेसर्स
द्वारा सोलर पंप की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान के साथ कराना
चाहता / चाहती हूँ। इस संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-

1	आवेदक का नाम	
2	पिता / पति का नाम	
3	महिला / पुरुष / तृतीय लिंग	
4	स्थापना स्थल	
5	हितग्राही का प्रकार (व्यक्तिगत / संस्थागत)	
6	हितग्राही का सम्पूर्ण पता	
7	विकासखण्ड	
8	विधानसभा क्षेत्र	
9	जिला	
10	दूरभाष क्रमांक	
11	ई-मेल पता यदि हो तो	
12	आवेदक का वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व. / सामान्य)	
13	आधार कार्ड क्रमांक	
14	खाताधारक का नाम	
15	खाताधारक का खाता संख्या	
16	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड	
17	वोटर कार्ड	
18	विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोट क्रमांक	
19	प्रस्तावित भूमि का खसरा नम्बर	
20	कुल रकबा (हेक्टेयर में) (खसरे एवं ऋण-पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
21	जल स्रोत (कुआ / बोरबेल / अन्य)	

मैं, इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ। कृपया निम्नानुसार सौर संयंत्र की स्थापना पर
मेरे पक्ष में राज्य शासन का अनुदान नियमानुसार स्वीकृत करने कि कृपा करें :-

1	प्रस्तावित सोलर पंप का प्रकार	
2	प्रस्तावित सोलर पंप की क्षमता	
3	सोलर पंप स्थापनाकर्ता इकाई	
4	सोलर मॉड्यूल क्षमता एवं मेक	
5	कंट्रोलर क्षमता एवं मेक (पम्प हेतु)	
6	पम्प का मेक	

नोट— स्वप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र के संबंध में विवाद होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय
अंतिम होगा।

कृ.प.उ.

संयंत्र की स्थापना उपरांत संयंत्र की सुरक्षा तथा रखरखाव की जवाबदारी मेरी होगी। संयंत्र के प्रदायकर्ता तथा उनके उत्पादों का चयन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें तकनीकी वारंटी अवधि 05 वर्ष शामिल है। संयंत्र में किसी प्रकार की क्षति अथवा मेरी असाधानी के कारण संयंत्र में आयी खराबी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। क्रेडा की बिना अनुमति के मैं संयंत्र विस्थापित/स्थानांतरित नहीं करूँगा। क्रेडा द्वारा समय-समय पर जारी नीति एवं दिशानिर्देशों का मैं पालन करूँगा।

इकाई द्वारा संयंत्र के संबंध में निम्न जानकारी दी गई है:-

संयंत्र लागत समस्त व्यय एवं 05 वर्षीय रखरखाव सहित	प्रस्तावित राज्य अनुदान	मेरे द्वारा इकाई को देय राशि

सोलर फोटोवोल्टाईक संयंत्र हेतु रुपये 1/- प्रतिवॉट के मान से आवेदन शुल्क आवेदन के साथ जमा कराया जा रहा है। मेरे पेटे तथा मेरे नाम से क्रेडा से अनुदान प्राप्त करने हेतु मैं मेसर्स _____ को अधिकृत करता/करती हूँ।

धन्यवाद,

आवेदक का हस्ताक्षर

- संलग्न:-**
1. पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति,
 2. पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति,
 3. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति (अनिवार्य)
 4. वोटर कार्ड की सत्यापित छायाप्रति,
 5. बिजली बिल की सत्यापित छायाप्रति,
 6. भूमि का खसरा/रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा (अनिवार्य)
 7. जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति (अनिवार्य)
 8. आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (पम्प अनुसार अनिवार्य)
 9. स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स,
 10. बैंक पासबुक की सत्यापित छायाप्रति (पम्प अनुसार अनिवार्य)

साध्य/असाध्य श्रेणी के पंप हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हितग्राही सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर पम्प स्थापना हेतु पात्र हितग्राही है। उसे पात्रतानुसार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

उपसंचालक (कृषि)

जिला.....
के सील एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र-1(क)

सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु संस्था (गौठान / चारागाह) का आवेदन पत्र

प्रति,

आवेदन दिनांक:

कार्यपालन अभियंता

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभियान (क्रैडा),
क्षेत्रीय कार्यालय,

द्वारा, उपसंचालक कृषि
जिला -.....

हितग्राही का
नवीनतम
फोटोग्राफ

विषय:- सोलर पंप की स्थापना पर अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन।

महोदय,

छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में, मैं (प्रतिनिधि/सरपंच/सचिव/स्वयं सहायता समूह) शासन/ग्राम पंचायत द्वारा चयनित गौठान/चारागाह हेतु मेसर्स _____ द्वारा सोलर पंप की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान के साथ कराना चाहता/चाहती हूँ। इस संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-

1	चयनित गौठान/चारागाह/सामुदायिक सिंचाई का नाम	
2	स्थापना स्थल/ग्राम का नाम	
3	हितग्राही/संस्था का सम्पूर्ण पता	
4	विकासखण्ड	
5	विधानसभा क्षेत्र	
6	जिला	
7	दूरभाष क्रमांक (प्रतिनिधि/सरपंच/सचिव/स्वयं सहायता समूह)	
8	ई-मेल पता यदि हो तो	
9	आवेदक का वर्ग	सामान्य

मैं/संस्था इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ। कृपया निम्नानुसार सौर संयंत्र की स्थापना पर मेरे/संस्था पक्ष में राज्य शासन का अनुदान नियमानुसार स्वीकृत करने कि कृपा करें :-

1	प्रस्तावित सोलर पंप का प्रकार	
2	प्रस्तावित सोलर पंप की क्षमता	
3	सोलर पंप स्थापनाकर्ता इकाई	
4	सोलर मॉड्यूल क्षमता एवं मेक	
5	कंट्रोलर क्षमता एवं मेक (पम्प हेतु)	
6	पम्प का मेक	

नोट- सौर सुजला योजना फेस-VI हेतु जारी दिशानिर्देश अनुसार नरवा, गरुवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना अंतर्गत तथा गौशाओं हेतु अनुदान सामान्य श्रेणी के तहत देय होगा तथा संस्था को पम्प की क्षमता अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क तथा सामान्य श्रेणी हेतु हितग्राही अंश प्रदाय करना होगा।

संयंत्र की स्थापना उपरांत संयंत्र की सुरक्षा तथा रखरखाव की जवाबदारी मेरी/संस्था होगी। संयंत्र के प्रदायकर्ता तथा उनके उत्पादों का चयन मेरे/संस्था द्वारा किया गया है, जिसमें तकनीकी वारंटी अवधि 05 वर्ष शामिल है। संयंत्र में किसी प्रकार की क्षति अथवा मेरी असावधानी के कारण संयंत्र में आयी खराबी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। क्रेडा की बिना अनुमति के मैं/संस्था संयंत्र विस्थापित/स्थानांतरित नहीं करूँगा। क्रेडा द्वारा समय-समय पर जारी नीति एवं दिशानिर्देशों का मैं/संस्था पालन करूँगा।

इकाई द्वारा संयंत्र के संबंध में निम्न जानकारी दी गई है:-

संयंत्र लागत समस्त व्यय एवं 05 वर्षीय रखरखाव सहित	प्रस्तावित राज्य अनुदान	संस्था द्वारा इकाई को देय राशि

सोलर फोटोवोल्टाईक संयंत्र हेतु रुपये 1/- प्रतिवॉट के मान से आवेदन शुल्क आवेदन के साथ जमा कराया जा रहा है। मेरे/संस्था पेटे तथा मेरे/संस्था नाम से क्रेडा से अनुदान प्राप्त करने हेतु मैं/संस्था मेसर्स _____ को अधिकृत करता/करती हूँ।
धन्यवाद,

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर

संलग्न:-

- भूमि का खसरा/रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा (अनिवार्य)
- आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (पम्प अनुसार अनिवार्य)
- स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स,
- बैंक पासबुक की सत्यापित छायाप्रति (पम्प अनुसार अनिवार्य)
- संस्था का प्रमाण पत्र

साध्य/असाध्य श्रेणी के पंप हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संस्था सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर पम्प स्थापना हेतु पात्र है। उसे पात्रतानुसार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

उपसंचालक (कृषि)
जिला.....
के सील एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

सिस्टम इन्टीग्रेटर एवं क्रेडा द्वारा किये जाने वाला तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट

बोरवेल	जल स्त्रोत का विवरण :-
2.1 जल स्त्रोत की गहराई :-	
2.2 बोरवेल की माप (4" / 6" / 7" / 8" / 9") :-	
2.3 बोरवेल की यील्ड (इंच/एल.पी.एम./एल.पी.एच.) :-	
2.4 स्टेटिक वाटर लेवल (मीटर में) :-	
2.5 झॉ डाउन लेवल (मीटर में) :-	
2.6 पम्प सेटिंग (मीटर में) :-	
2.7 बोरवेल की गहराई (मीटर में) :-	
2.8 सरफेस स्टेटिक हेड (मीटर में) :-	
2.9 डिलीवरी पाईप की लम्बाई एवं व्यास (मीटर में) :-	
2.10 पावर केबल की माप एवं लम्बाई (मीटर में)	
3 नदी/नहर अथवा अन्य स्त्रोत हेतु सरफेस माऊंटेड पंप का विवरण:-	
3.1 सक्षन लिफ्ट (मीटर में) :-	
3.2 सरफेस स्टेटिक हेड (मीटर में) :-	
3.3 डिलीवरी पाईप की लम्बाई एवं व्यास (मीटर में) :-	
3.4 सक्षन पाईप की लम्बाई एवं व्यास (मीटर में) :-	
3.5 अन्य जानकारी (यदि हो तो) :-	
4 सोलर मॉड्यूल्स की स्थापना हेतु उपलब्ध छायामुक्त स्थल (मीटर ²) :-	
4.1 अक्षांश(Latitude).....देशांतर(Longitude).....	
5 जल स्त्रोत एवं सोलर मॉड्यूल्स के बीच की दूरी (मीटर में) :- (स्थल का ले-आउट संलग्न करें)	
6 प्रस्तावित सोलर पम्प (सबमर्सिबल/सरफेस) -	
6.1 पम्प का मेक -	
6.2 पम्प की क्षमता -	
6.3 पम्प का प्रकार (ए.सी./डी.सी.) -	
6.4 यदि ए.सी. पम्प हो तो इन्वर्टर/व्ही.एफ.डी. की जानकारी -	
6.5 सोलर फोटोवोल्टाइक ऐरे क्षमता -	
6.6 मॉड्यूल का मेक -	
6.7 सैल संख्या एवं वॉटेज	
6.8 गैल्वनाइज मॉड्यूल माउटिंग स्ट्रक्चर -	
6.9 ट्रेकिंग सिस्टम (मैनूअल/ऑटोमेटिक) - (MNRE के आवश्यकतानुसार पंप एवं पैनल के टेस्ट Certificate संलग्न करें)	

परियोजना लागत विवरण :-

स.क्र.	संयंत्र विवरण	इकाई लागत (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या)	कुल लागत (लाख रु. में)
1	सोलर पम्प			
2	परिवहन एवं स्थापना (मय सिविल कार्य)			
3	सी.ओ.एम. लागत			
4	अन्य			
कुल लागत				

वित्त माध्यम :-

1	क्रेडा से राज्य अनुदान	रु.
2	अन्य स्ट्रोंट से अंशदान / अनुदान (विवरण संलग्न)	रु.
3	सॉफ्ट लोन असिस्टेंस, यदि हो तो	रु.
4	हितग्राही अंशदान	रु.
कुल		रु.

सिस्टम इंटीग्रेटर का नाम

सिस्टम इंटीग्रेटर के हस्ताक्षर एवं सील

सत्यापन किया गया

सहायक अभियंता / जिला प्रभारी, क्रेडा के हस्ताक्षर
एवं सील

प्रपत्र-3

स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र

मैं (हितग्राही का नाम) पता
शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1—मैं अपने कृषि कार्य हेतु अपनी कृषि भूमि की सिंचाई के लिए छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) से सौर समाधान चाहता/चाहती हूँ। मैं क्रेडा की पंजीकृत इकाई मेसर्स..... से 01 नग की स्थापना कराना चाहता/चाहती हूँ जिनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान इकाई द्वारा सोलर पंप के संबंध में पूरी तकनीकी, वित्तीय एवं सामान्य जानकारी से मुझे अवगत कराया गया है जिससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ एवं उनसे सोलर पंप लगवाने के इच्छुक हूँ। मेरे द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये डी.डी. क्र- दिनांक क्रेडा के नामे जमा किया जा रहा है।

2—मेरे द्वारा कुल हितग्राही अंश में से राशि रूपय नगद/डी.डी./चेक स.क्र- दिनांक सिस्टम इंटिग्रेटर मेसर्स..... के नामे जमा किया जा रहा है। मेरे पेटे तथा मेरे/संस्था नाम से क्रेडा से उक्त हितग्राही अंश, राज्य अनुदान प्राप्त करने हेतु मैं/संस्था मेसर्स..... को अधिकृत करता/करती हूँ।

3—सोलर पंप की स्थापना हेतु निःशुल्क स्वयं की अविवादित भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी। (भूमि के कागजात एवं फोटोग्राफ्स संलग्न)

4—सोलर पंप का संचालन सूचारू रूप से करते हुए बिना क्रेडा की लिखित अनुमति के यह विस्थापित नहीं किया जायेगा।

5—क्रेडा की अनुदान नीति के अनुरूप मैं/संस्था अनुदान के बाद शेष हितग्राही अंश राशि संबंधित सिस्टम इंटिग्रेटर को उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी।

6—यदि प्राकृतिक कारणों से मेरा बोरवेल धूसकता है, तो ऐसी स्थिति मे सिस्टम इंटिग्रेटर जिम्मेदार नहीं होगा।

7—सोलर पंप के सामान्य संचालन, ट्रेकिंग एवं माड्यूल की सफाई एवं संयंत्र की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मेरी/संस्था स्वयं की होगी।

8—संयंत्र अथवा उसके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग मैं/संस्था निर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा अन्यत्र नहीं करूंगा/करूंगी।

9—यदि सोलर पंप की सामग्री का मेरे/संस्था द्वारा दुरुपयोग किया जाता है या मेरी/संस्था की लापरवाही से संयंत्र को कोई क्षति होती है, तो नियमानुसार राजस्व बकाया की भाँति अनुदान वसूली का अधिकार क्रेडा को होगा और ऐसे समय में कोई आपत्ति नहीं उठाऊंगा/उठाऊंगी।

10—यदि संयंत्र को मेरे/संस्था द्वारा विस्थापित/अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण/विक्रय/रहन किया जाता है तो नियमानुसार राजस्व बकाया की भाँति अनुदान वसूली का अधिकार क्रेडा को होगा और ऐसे समय में मैं/संस्था कोई आपत्ति नहीं उठाऊंगा/उठाऊंगी।

11—क्रेडा द्वारा सोलर पंप की स्थापना हेतु क्रेडा द्वारा निर्धारित समस्त दिशानिर्देशों का पालन करूंगा /करूंगी। मेरे/संस्था यहाँ स्थापना हेतु प्रस्तावित संयंत्र में क्रेडा एवं एम.एन.आर.ई. के निर्धारित अनुदान के अतिरिक्त विभाग/संस्था से राशि..... के अनुदान की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसका विवरण पृथक से संलग्न है।

12—मेरे/संस्था यहां पूर्व में कोई सोलर पंप स्थापित नहीं किया गया है।

13—मैं/संस्था उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारियों/की गई घोषणाएँ को देने के परिणामों से भली—भौति अवगत हूँ। यदि मेरे/संस्था द्वारा दी गई समस्त जानकारियों/की गई घोषणाएँ मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं/संस्था मेरे विरुद्ध भा.द.वि. 1960 की धारा—199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिये स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी एवं क्रेडा मेरे/संस्था के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

14—किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा का निर्णय अंतिम होगा।

गवाह 1.नाम व हस्ताक्षर.....

(हितग्राही के हस्ताक्षर)

पता.....

नाम.....

पता.....

गवाह 2.नाम व हस्ताक्षर.....

पता.....

प्रपत्र-4

सोलर पंप की स्थापना हेतु साईट क्लीयरेंस एवं औचित्य प्रमाणपत्र (जे.सी.सी.के साथ मूल प्रति संलग्न की जाए)

01. हितग्राही का नाम :.....
02. हितग्राही का पूर्ण पता :.....
03. मोबाईल / दूरभाष क्रमांक :.....
04. स्थापना स्थल :.....
05. कार्यस्थल का ले-आउट जिसमें जल स्रोत एवं
सोलर माड्यूल्स मय स्ट्रक्चर हेतु प्रस्तावित स्थल
दर्शाया गया हो :..... संलग्न / असंलग्न
06. उपलब्ध छायामुक्त स्थान का माप जहाँ :..... मी²
07. सिंचाई हेतु प्रस्तावित रकबा :..... एकड़
08. जलस्रोत : बोर / कुओं / अन्य.....
09. जलस्रोत में जल की उपलब्धता : पर्याप्त / अपर्याप्त
10. कार्यस्थल, जलस्रोत, जल की उपलब्धता एवं आवश्यकता :.....
के आधार पर सोलर पंप की प्रस्तावित क्षमता एवं प्रकार :.....
11. संयंत्र की सुरक्षा के विषय मे टीप :.....
12. सोलर पंप के दैनिक संचालन व संधारण हेतु हितग्राही :.....
एवं हितग्राही की ओर से नामित व्यक्ति का नाम एवं
सम्पर्क नंबर :.....

यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्यस्थल (नक्शा संलग्न)
सोलर पंप स्थापना हेतु आज दिनांक को तकनीकी रूप से
उपयुक्त पाया गया है ।

हितग्राही के हस्ताक्षर

सिस्टम इंटिग्रेटर के अधिकृत
प्रतिनिधि का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

कार्यपालन अभियंता / सहायक
अभियंता / जिला प्रभारी के
हस्ताक्षर एवं सील
क्रेडा, क्षेत्रीय कार्यालय /
जिला कार्यालय

प्रपत्र-5

सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रमाण पत्र

मेरे (नाम) कंपनी का नाम द्वारा कार्य स्थल का सर्वेक्षण किया गया एवं मेरे अभियंता सेएच.पी.-.....सर्फेस/सबमर्सिबल ए.सी. /डी.सी. क्षमता के सोलर पम्प हेतु कार्यस्थल उपयुक्त है। उपरोक्तानुसार जानकारी भरकर प्रस्तावित स्थल पर सोलर पम्प क्रेडा एवं एम.एन.आर.ई. के मापदंडों एवं निर्देशानुसार लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करता हूँ।

संलग्न :— 1- MNRE Test Report for Pump , Solar Panel & Controller,
2- Bill of material,
3- Engineering Drawing.

सिस्टम इंटीग्रेटर के हस्ताक्षर व सील

औचित्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा श्रीग्राम..... विकासखण्ड.....जिला.....के पटवारी हल्का नंमें स्थित खेत जिसका खसरा नंबर.....कुल भूमि.....(हेक्टेयर) है जहाँ मेसर्स के माध्यम से प्रस्तावित सोलर पंप की स्थापना हेतु सर्वेक्षण किया गया एवंक्षमता के सोलर पम्प हेतु कार्यस्थल उपयुक्त है। हितग्राही को उपरोक्तानुसार संयंत्र हेतु अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव अग्रेषित किया जाता है।

सहायक अभियंता/जिला प्रभारी
के हस्ताक्षर एवं सील
क्रेडा, क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालय